मु० नम्बर..............किस्म.................. ....उनवान...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्ड

दिनांक	फर्द अहकाम
18/8/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली रिकॉर्ड के इंतजार के लिए 18/8/25 को पेश हो।
18/8/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/8/25 को पेश हो।
	19/8/25 पत्रावली पेश हुई। रिकॉर्ड के इंतजार हेतु 26/8/25 को पेश हो।
	26/8/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली रिकॉर्ड के प्राप्त हुई। अग्रिम कार्यवाही हेतु 27/8/25 को पेश हो।
27/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील फरीक उपस्थित सायलान अतरसिंह के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान ने उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किस कानूनी प्रावधान के तहत पेश किया गया है उसका कोई हवाला प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने कोई स्वतंत्र दावा पेश नहीं किया गया है, नाहीं अप्रार्थी के मूल दावा में कोई काउन्टर दावा ही पेश किया है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रा० पत्र टी० आई० अकेले बिना दावा व बिना काउन्टर दावे के चलने योग्य नहीं है। सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

नम्बर.......किस्म.......   ....उनवान.......

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक

फर्द अहकाम

अतः सायलान ज्वालासिंह वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टी०आई० उनवानी ज्वालासिंह बनाम अतरसिंह मु० नं० 104/99 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन उभय वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। जिस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान ज्वालासिंह वगैरा के द्वारा ना तो कोई स्वतंत्र दावा इस न्यायालय मे पेश किया गया है और ना ही अप्रार्थी अतरसिंह के मूल दावे में कोई काउन्टर वाद पेश किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अतरसिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है। क्योंकि बिना दावा के कोई भी व्यक्ति टी०आई० प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकता। इसलिए मु० नं० 104/99 उनवानी ज्वालासिंह V/S अतरसिंह वगैरा टी०आई० प्रा० पत्र खारिज योग्य है।

अतः मु० नं० 104/99 उनवानी ज्वालासिंह बनाम अतरसिंह वगैरा प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर शामिल अतरसिंह वगैरा के मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)